भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 631**

**08 फरवरी, 2019 को उत्तरार्थ**

**विषय: देश में सिंचित क्षेत्र**

**631. श्री समीर उरांवः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) गत पांच वर्षों से कौन-कौन से राज्यों में असिंचित भूमि, सकल सिंचित भूमि के क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत से भी कम है;

(ख) सकल सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में प्रभावी बढ़ोतरी सुनिश्चित करने या कृषि प्रबंधन को प्रोत्साहित करने वाली सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वित्तीय वर्षों में अपने कुल व्यय राशि में से 15 प्रतिशत या इससे अधिक धनराशि कृषि क्षेत्र में खर्च करने वाले सभी राज्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री**

**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): जी, नहीं।

(ख): जल संसाधन परियोजनाओं का योजना निर्माण, वित्‍तपोषण, कार्यान्‍वयन और रख-रखाव राज्‍य सरकारों द्वारा ही उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। उनके प्रयासों में सहायता के लिए, भारत सरकार विभिन्‍न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्‍यम से जल संसाधनों के सुस्‍थायी विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्‍साहित करने के लिए राज्‍य सरकारों को तकनीकी और वित्‍तीय सहायता देती है। सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, अर्थात जल स्रोतों, वितरण नेटवर्क और खेत के स्‍तर पर उपयोगों में आद्योपांत समाधान उपलब्‍ध कराने हेतु ‘हर खेत को पानी’ के आदर्श वाक्‍य के साथ 1 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई थी। पीएमकेएसवाई न केवल सुनिश्‍चित सिंचाई के लिए स्रोत सृजन पर अभिकेंद्रित है, बल्‍कि ‘जल संचय’ और ‘जल सिंचन’ के माध्‍यम से सूक्ष्‍म स्‍तर पर वर्षा जल संचय द्वारा संरक्षित सिंचाई सुविधा का सृजन भी करता है। पीएमकेएसवाई के निम्‍नलिखित घटक हैं:

**त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):** राष्‍ट्रीय परियोजनाओं सहित चालू वृहत और मध्‍यम सिंचाई योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर केंद्रित है। (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित)

**हर खेत को पानी:** स्रोत आवर्धन, वितरण, भूजल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल की बहुलता वाले क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का प्रवाह, वर्षा जल संचय को आईडब्‍ल्‍यूएमपी और मनरेगा से आगे बढ़ाना, पारंपरिक जल स्रोतों की मरम्‍म्‍त, पुनर्रूद्धार और पुनरूत्‍थान। (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा कार्यान्‍वित)

**वाटरशेड विकास घटक:** मेड़ निरूपन, जल निकास लाइन सुधार, मिट्टी और नमी संरक्षण, जल संचय संरचनाओं का निर्माण, आजीविका समर्थन कार्यकलाप और अन्‍य वाटरशेड कार्य। (भू संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्‍वित)

**पर ड्रॉप मोर क्रॉप:** कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग (डीएसी&एफडब्‍ल्‍यू) पीएमकेएसवाई के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक का कार्यान्‍वयन कर रहा है जो मुख्‍यत: सूक्ष्‍म और लघु सिंचाई के माध्‍यम से खेत के स्‍तर पर जल उपयोग कुशलता पर केंद्रित है। उपलब्‍ध जल संसाधनों के इष्‍टतम उपयोग के लिए सूक्ष्‍म सिंचाई और खेत के स्‍तर पर बेहतर जल प्रबंधन को प्रोत्‍साहित करने के अलावा, यह घटक स्रोत सृजन की प्रतिपूर्ति हेतु लघु स्‍तरीय जल भंडारण अथवा जल संरक्षण/प्रबंधन कार्यकलापों को भी समर्थन देता है। पीएमकेएसवाई पीडीएमसी-सूक्ष्‍म सिंचाई परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार, सूक्ष्‍म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों हेतु 55 प्रतिशत तक और अन्‍य किसानों हेतु 45 प्रतिशत तक वित्‍तीय सहायत उपलब्‍ध है।

(ग): चूकि कृषि एक राज्‍य विषय है, अत: यह राज्‍य सरकारों की प्राथमिक जिम्‍मेदारी है कि वे कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास करें और उनके संबंधित राज्‍यों के लिए उनकी आवश्‍यकतानुसार विकास योजनाएं बनाएं और कार्यक्रम/योजनाओं का प्राभावी कार्यान्‍वयन सुनिश्‍चित करें। तथापि, भारत सरकार विभिन्‍न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्‍यम से राज्‍य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। उन राज्‍यों का ब्‍यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है जो उनके कुल व्‍यय का 15 प्रतिशत या उससे अधिक कृषि पर व्‍यय करते हैं।

\*\*\*\*\*